

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 651]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 16 दिसम्बर 2020 — अग्रहायण 25, शक 1942

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 16 दिसम्बर 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 11-01/2019/सात-4. — छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 13 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 11-01/2019/सात-4, दिनांक 11 नवम्बर, 2020 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, -

अनुसूची के सरल क्रमांक 1 के कॉलम (3) में, शब्द “कटघोरा” के स्थान पर, शब्द “पाली” प्रतिस्थापित किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम.आर. ठाकुर, संयुक्त सचिव.

Atal Nagar, the 16th December 2020

NOTIFICATION

No. F 11-01/2019/Seven-4 . — In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, makes the following Amendment in the department's Notification No. F 11-01/2019/Seven-4, Dated 11th November, 2020, namely :-

AMENDMENT

In Schedule of the said Notification, -

In column (3) of serial number 1 of the Schedule, for the word "Katghora", the word "Pali" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
M.R. THAKUR, Joint Secretary.